2025/371

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :- कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 55/2025 (राजसमन्द डिक्री)

1. जोधसिंह पिता स्व. नाहरसिंह राजपूत निवासी खटूकडा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. चंदकुंवर पिता स्व. नाहरसिंह राजपूत निवासी खटूकडा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. इन्दकुंवर पिता स्व. नाहरसिंह राजपूत निवासी खटूकडा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. शम्भुसिंह पिता स्व. नाहरसिंह राजपूत निवासी खटूकडा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

4/1. मोहब्बतसिंह पिता स्व. शम्भुसिंह राजपूत निवासी खटूकडा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

4/2. दीपसिंह पिता स्व. शम्भुसिंह राजपूत निवासी खटूकडा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

4/3. हरिसिंह पिता स्व. शम्भुसिंह निवासी खटूकडा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

4/4. कमलाकुंवर पत्नी स्वर्गीय शम्भुसिंह निवासी खटूकडा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा दिनांक 27.06.2024 प्रकरण संख्या 148/2019 [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:12:13 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :- 1– श्री मुकेश तलेसरा [illegible]

2– श्री अनिल बागोरा राजकीय अभिभाषक

———::———

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

निर्णय दिनांक **26–12–2025**

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण क्रमशः स्वर्गीय नाहरसिंह पिता गोपालसिंह राजपूत निवासी खटुकडा तहसील रेलमगरा के वादी संख्या 01, 03 पुत्र एवं वादी संख्या 02, 04 पुत्रियां है। स्वर्गीय नाहरसिंह पिता गोपालसिंह राजपूत निवासी खटुकडा को जरिये मिसल नम्बर 118 सन् 65 में एलोटमेन्ट हस्बराय एडवाइजरी कमेटी के ग्राम खटुकडा तहसील रेलमगरा में आराजी संख्या 01मी. से 05–00 बीघा भूमि देने का निर्णय दिनांक 15.07.1965 को तहसीलदार रेलमगरा द्वारा स्वीकृति दी गई व मिसल फैसल शुमार की। दिनांक 04.06.1968 को तहसीलदार रेलमगरा ने जरिये मिसल नम्बर 118/65 एलोटमेन्ट में पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का की ओर से प्रार्थी को भूमि पैमूद करते हुए नक्शा खसरा मय मौका पर्चा की रिपोर्ट पेश है, पत्रावली में शामिल हो चुका है। इस पर तहसीलदार रेलमगरा ने पटवारी हल्का को आदेश दिया कि वो प्रार्थी नाहरसिंह उर्फ नाहरसिंह के नाम आराजी नम्बर 01मी. से रकबा 05–00 बीघा भूमि गैरखातेदारी हक से इन्द्राज करते हुए लगान संवत् 2022 से 21 तथा फीस पट्टा 05 रूपये वसूल करते हुए पटवारी हल्का तथा कायमी डिमाण्ड हेतु टीआरए को तामील जारी हो दिनांक 06.04.1968 को आदेश दिया। पटवारी हल्का चराणा द्वारा दिनांक 15.02.1966 को मु.न. 118/65 में पर्चा याददास्त ग्राम खटुकडा उपरोक्त आदेश के तहत ग्राम खटुकडा में अलोटमेन्ट शुदा आराजी संख्या 1/2 में से 05–00 बीघा भूमि श्री नाहरसिंह पिता गोपालसिंह राजपूत निवासी खटुकडा को पैमूद कर जमीन सुपुर्द की गई। एलोट शुदा आराजी संख्या 1/2 रकबा 05–00 बीघा भूमि को नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया। तभी से स्व. नाहरसिंह का उक्त आराजी पर कब्जा चला आ रहा है। स्व. नाहरसिंह ही उक्त आराजी पर काफी श्रम एवं रूपया खर्च कर भूमि को आबादी की और भूमि को कृषि भूमि योग्य बनाई और भूमि का काबिज उपभोग कर रहे थे। वादीगण के पिता श्री नाहरसिंह पिता गोपालसिंह राजपूत निवासी खटुकडा तहसील रेलमगरा का सन् 1997 को स्वर्गवास

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:12:13 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबंध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

हो गया है। स्व. नाहरसिंह के स्वर्गवास के पश्चात् उक्त भूमियों का उपयोग उपभोग वादीगण ही निरन्तर एवं निर्बाध रूप से बिना रोक टोक करते चले आ रहा है। उक्त आराजी पर नाहरसिंह एवं नाहरसिंह की मृत्यु के पश्चात् वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। वादीगण का कब्जा मुखालफाना परिपक्व हो चुका है। प्रतिवादी की सेहवन से भूलवश या कर्मचारियों की गलती से स्व. नाहरसिंह को एलोट शुदा आराजी नम्बर 1/2 में से 05–00 बीघा भूमि गैरखातेदारी हक से राजस्व अभिलेखों में दर्ज होना रह गई और उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में चारागाह ही दर्ज है। आराजी संख्या 1/2 रकबा 05–00 बीघा के नये नम्बर 2128/1813 रकबा 06–08 बीघा किस्म चारागाह दर्ज है। इसी प्रकार किशनसिंह को 1/2 मी. में से 05–00 बीघा भूमि एलोट हुई वो उसके खाते दर्ज है। प्रतिवादीगण व उसके कर्मचारियों की त्रुटिवश व गलती के कारण नाहरसिंह को एलोट भूमि आराजी संख्या 1/2 भूमि राजस्व रेकार्ड में अंकन करना रह गया और उक्त भूमि अभी तक चारागाह ही दर्ज राजस्व अभिलेख में चली आ रही है। जिसके नये नम्बर 2128/1813 पड़े है। आराजी संख्या 1/2 जिसे नम्बर 2128/1813 भूमि पर स्वर्गीय नाहरसिंह का एवं उसके स्वर्गवास के पश्चात् वादीगण का कब्जा होकर वादीगण ही उक्त भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है और वादीगण का उक्त भूमि पर निरन्तर एवं निर्बाध रूप से कब्जा सन् 1968 से चला आ रहा है। वादीगण का कब्जा मुखालफाना (एडवर्स पजेशन) परिपक्व होकर वादीगण उक्त भूमि के खातेदार कृषक योग्य है। उक्त आशय की घोषणा कराई जावें कि आराजी नम्बर 1/2 जिसके नये नम्बर 2128/1813 रकबा 06–08 बीघा भूमि के खातेदार कृषक वादीगण होकर इसी अनुसार वादीगण का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकन किया जावें। वादीगण यह समझ रहे थे कि उक्त भूमि वादीगण के पिता नाहरसिंह को एलोट हुई है और एलोटमेन्ट के आधार पर भूमि रा[illegible] में स्व. [illegible] के नाम पर दर्ज होगी परन्तु तहसीलदार रेलमगरा द्वारा [illegible] सं[illegible] 01 जोधसिंह के नाम नाजायज कब्जे का [illegible] का मिलने पर ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि स्व. नाहरसिंह के नाम पर दर्ज नही हुई है, इस पर वादी संख्या 01 जोधसिंह तहसील कार्यालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:12:13 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

रेलमगरा में गया तो उसे हालात ज्ञात हुई और वादीगण ने तहसील कार्यालय व पटवारी से नकले निकलवाई तो वादी संख्या 01 को बताया गया कि अपना नाम दर्ज कराने हेतु न्यायालय में जाकर दावा करना पडेगा। वादीगण को वाद हेतु दिनांक 18.09.2012 को वादग्रस्त भूमि की नकले निकलवाने पर व तहसील कार्यालय के कर्मचारी द्वारा वादीगण का नाम दर्ज कराने हेतु न्यायालय में कार्यवाही करनी पडेगी, कहने पर उत्पन्न हुआ जो लगातार जारी है। अतः प्रार्थना है कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय की डिक्री पारित फरमाई जावें कि वादीगण को ग्राम खटुकडा तहसील रेलमगरा की आराजी संख्या 1/2 रकबा 05–00 बीघा जिसके नये नम्बर 2128/1813 रकबा 06–08 बीघा का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर इसी माफिक भूमि वादीगण के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकन किये जाने की डिक्री पारित की जावें।

2. उक्त वाद का खण्डन करते हुये प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया की विवादित भूमि चारागाह दर्ज है तथा जगपालसिंह बनाम पंजाब राज्य के एवं राजस्व नियमों के अनुसार प्रतिबंधित भूमि है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावें।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में 2 तनकियां बनाई एवं तनकीवार विवेचन करते हुये दिनांक 27.06.2024 को वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रुष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे दिनांक 27.08.2025 को प्रस्तुत की गई है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 05 मयाद अधिनि[illegible] कर निवेदन किया की उक्त निर्णय की जानकारी अपीलान्टगण [illegible] दिनांक 08.08.2025 को हुई। जानकारी दिनांक से अपील [illegible]वधि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:12:13 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

प्रस्तुत कर दी गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलंब को क्षमा किया जावें। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

6. हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत देरी को क्षमा किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

7. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुये बताया कि विवादित भूमि विधिवत् अपीलान्टगण के पिता स्व. श्री नाहरसिंह को आंवटित होकर नामान्तकरण भी स्वीकृत हो चुका है, किन्तु सेंटलमेंट के दौरान अपीलान्ट को आंवटित कब्जे शुदा भूमि को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के चारागाह दर्ज कर दिया गया। विवादित भूमि राजस्व रेकर्ड में चारागाह दर्ज होने से अधीनस्थ न्यायालय ने उसे प्रतिबंधित की श्रेणी में माना है, जबकि वक्त आंवटन भूमि प्रतिबंधित नही थी। जगपालसिंह का आदेश भूतलक्षी प्रभावी नही है। अपीलान्टगण ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से तनकी नम्बर 1 को प्रमाणित करवाया है, जबकि तनकी नम्बर 2 के संबंध में प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त हो गया। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जाकर अपीलान्टगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

8. उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बताया की विवादित भूमि चारागाह होने से इसकी खातेदारी देय नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार विवेचन करते हुए अपीलान्टगण का वाद खारिज किया है जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

9. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट/वादीगण द्वारा आराजी नम्बर 2128 [illegible] रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा भूमि की खातेदारी चाही गई है, जबकि [illegible] अनुसार आराजी नम्बर 2128/1813 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा चारागाह दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने तनकीवार विवेचन में विवादित भूमि चारागाह

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:12:13 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

दर्ज होने से माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली के प्रकरण जगपाल सिंह बनाम पंजाब सरकार व अन्य के निर्णय से प्रभावित भूमि होना एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 से भी प्रतिबंधित होने से अपीलान्ट वादीगण का वाद खारिज किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

10. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2024 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 26.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमारं हो नम्बर से कम की जावे।

26.12.25

-(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:12:13 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.** .....

जोधसिंह पिता स्व. नाहरसिंह राजपूत निवासी खटूकडा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द व अन्य बनाम **राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा, जिला राजसमन्द**

अपील नं.....**55/2025**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**रेलमगरा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**27**.....माह.....**06**.....**2024**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**26**.....माह.....**12**.....सन् **2025** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी..... **श्री मुकेश तलेसरा** .....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री अनिल बागोरा**
.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2024 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें ।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**26**.....माह.....**12**.....**2025** को जारी किया गया ।

26.12.25

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:12:13 IST
Reason: SelfAttested